कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
लखनऊ।

पत्रांक 1003/R-1/15 दिनांक 26/3/15

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय
33/11 के.वी. उपकेन्द्र (पटेल पार्क)
निराला नगर लखनऊ

विषय : रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र संख्या 32/वि.न.वि.ख.-द्वि०/लखनऊ दिनांक 23/01/15

आप द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 23/01/15 के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार पी.एल.एम.एल मार्ग (किमी 2.61 से 2.66) पर रोड कटिंग की अनुमति माँगी गयी है, जिसके सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित संलग्न प्रोफार्मा बिल की धनराशि रू0 ~~73,27,480/=~~ 2197044.00 का भुगतान इस खण्ड में करने का कष्ट करें ताकि अनुमति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–प्रोफार्मा बिल

Verified for Rs 2197044=00

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (V), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ

Abstract on page no. 18 of M.B.no. 31

Twenty one lakhs ninety seven thousand forty four only

Passed & Pay for Rs 2,19,7044=00
Rs. Twenty one lacs Ninety Seven thousand forty four Only

Executive Engineer

Ac/D.A.

प्रोफार्मा बिल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ

दिनांक

अधिशासी अभियंता
विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-द्वितीय
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 85-
33/11 के0वी0 उपकेन्द्र (पटेल पार्क)
निराला नगर, लखनऊ पत्रांक-32/वि0न0नि0खं0-द्वि0/लो0नि0/दि0 23/1/15

| क्रम सं0 | मार्ग का नाम | कटिंग की जाने वाली मार्ग की चैनेज/स्थल का विवरण | कटिंग की जाने वाली सतह का प्रकार | मात्रा | युनिट | दर | धनराशि | लो0नि0वि0 के संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का नाम एवं दूरभाष संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | PSHL Road. Km 261 to 266 | Km 261 to Km 264 | ① EIW 1975.00 x 2.00 ② 801.00 x 2.00 | 0.6<br>0.6 | 1185 = 3950.00<br>1602.6 = 1600.6 | m2 @ 540.00<br>m2 @ 3240.00 | 6399000.00 2133000.00<br>1557144.00 5190480.00<br>Total 7327480.00<br>2197044.00 | ① S.O. पवन कुमार सिंह<br>② JE श्री अयाराम सिंह 9456830141 |

नोटः-

1 उपरोक्त धनराशि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ के नाम रेखांकित चैक/ड्राफ्ट द्वारा ही प्राप्त की जायेगी। धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

2 कृपया संबंधित अधिकारी का नाम/पद व मोबाईल/दूरभाष नं0 भी अवगत करायें ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त सम्पर्क किया जा सके।

3 केबिल/पाईप लाईन डालने से पहले उसके नीचे सीमेन्ट कंक्रीट या हार्ड स्टेट्रा डाला जाये ताकि पाईप लाईन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो तथा भविष्य में मरम्मत हेतु रोड कटिंग से बचा जा सके। रोड कटिंग के समय उक्त कार्य की ड्राईंग एवं सेक्शन तथा गहराई संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ से अनुमोदित कराने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ करने दिया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करना होगा।

4 रोड कटिंग करते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई दुर्घटना न हो यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी कटिंग एजेन्सी की होगी। रोड कटिंग के द्वारा सर्विस लाईनों जैसे-सीवर, पानी, नाला व विद्युत लाईनों आदि की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कटिंग संस्था का होगा। किसी भी दुर्घटना का पूर्ण हर्जा-खर्चा कटिंग संस्था को ही वहन करना होगा।

5 कटिंग एरिया अधिक होने पर उसकी अनुमति पुनः लेने के उपरान्त ही कार्य किया जाय।

6 यह अनुमति केवल लो0नि0वि0 के मार्गों के लिये रोड कटिंग से संबंधित है, यदि इसके अतिरिक्त अन्य विभाग/निगम आदि की अनुमति की आवश्यकता हो तो उसकी अनुमति संबंधित विभाग से स्वयं लेनी होगी।

7 जब कभी विभाग को मार्ग चौड़ीकरण एवं अन्य कारणों से उक्त स्थल की आवश्यकता होगी तो केबिल/पाइप लाईन आदि डालने वाले विभाग/कम्पनी फर्म को उक्त केबिल/पाईप लाईन आदि अपने खर्चे पर हटाकर पूर्व स्थिति में विभाग को [illegible] उपलब्ध कराना होगा।

Verified for Rs. 2197044=00

Passed & Pay for Rs 2197044=00
Rs. Twenty One Lac Ninety Seven Thousand forty four only

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
लखनऊ

D.A.

Executive Engineer